

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

016/सं-81/2017

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया.....सा०....., सन्.....

आदेश का प्रकार:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम 0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
07.08.2017	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत खगड़िया थाना में दर्ज कांड संख्या-262/2017 दिनांक 20.04.2017 में जप्त किये गए देशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3741/सी0आर0 दिनांक 27.07.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई देशी शराब की कुल मात्रा 93(तिरानवे) पाउच देशी शराब में से 06(छः) पाउच देशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को भेज दिया गया है, जबकि शेष 87 (सतासी) पाउच देशी शराब खगड़िया थाने के मालखाना में रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खगड़िया थाने में रखी गई 87 (सतासी) पाउच देशी शराब को विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए खगड़िया थाना कांड संख्या 262/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल 87 (सतासी) पाउच (17.400 ली०) देशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	
	समाहर्ता, खगड़िया।	समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02.

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
3.

डी० बी० नं०.....230...../विधि, दिनांक.....9/8/2017
प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया /थानाध्यक्ष, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के बेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा
खगड़िया।